छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009.

क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र:: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(क्र. 22 सन् 2005), की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र, दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा राज्य शासन ने "सूचना का अधिकार(आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009" बनाया है।

2/ ऊपर उल्लेखित अधिसूचना के मुख्य भाग में उल्लेखित शब्द एवं अंक **"धारा 28 की उपधारा (1)"** के स्थान पर शब्द एवं अंक **"धारा 27 की उपधारा (1) व (2)"** मूल अधिसूचना के दिनांक से प्रतिस्थापित किये जाते हैं ।

27 OCT 2009

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009.

क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर.......2

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(RIGHT TO INFORMATION CELL)
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR

:: **NOTIFICATION** ::

Raipur, Dated 07 October, 2009.

No. F 2-10/2008/1-RTI :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government has framed "The Chhattisgarh Right to Information (submission of application) Rules, 2009." vide this department's notification NO. F2-10/2008/1-RTI, dated 15th June 2009.

2/- In the main part of above mentioned notification for the words and figures **"sub section (1) of section 28"** the words and figures **"sub section(1) and (2) of section 27"** are substituted from the date of original notification.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Mishra)
Joint Secretary
Government of Chhattisgarh
General Administation Department

Cont....3

पृ0 क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009.

प्रतिलिपि :–

(1) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली,

(2) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर,

(3) महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर,

(4) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,

(5) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.),

(6) सचिव, मुख्यमंत्रीजी, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,

(7) समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण,

(8) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,

(9) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, रायपुर,

(10) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

(11) सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर (छ0ग0),

(12) समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

(13) संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर,

(14) संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(15) नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग